Regarding reported merger of schools in Uttar Pradesh

एडवोकेट चन्द्र शेखर **(**नगीना**) :** धन्यवाद सभापति महोदय । भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 (ए) 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ़्त और अनिवार्य शिक्षा पाने का मौलिक अधिकार प्रदान करता है । इसी अधिकार को लागू करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा राइट टू एजुकेशन एक्ट, 2009 बनाया गया था । उसमें साफ कहा गया है कि एक किलोमीटर के दायरे में स्कूल की व्यवस्था की जानी चाहिए, ताकि बच्चों को शिक्षा पाने के अधिकार का व्यावहारिक लाभ मिल सके ।

संविधान के अनुच्छेद 46 के अंतर्गत नीति-निर्देशक तत्वों का भी उल्लंघन है, जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि "राज्य का यह प्रयास रहेगा कि वह शैक्षिक और आर्थिक हितों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के विशेष सुरक्षा करेगा और प्रोत्साहन देगा तथा सामाजिक अन्याय व शोषण के रूपों से उनकी रक्षा करेगा ।"

साथ ही, शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची का विषय है, यानी केंद्र और राज्य दोनों इस पर कानून बना सकते हैं । लेकिन, संविधान के अनुच्छेद 254 के अनुसार यदि राज्य की कोई नीति या कानून केंद्र के कानून से टकराता है तो केंद्र के कानून को सर्वोपरि माना जाएगा । अतः राज्यों के लिए आरटीई एक्ट 2009 के प्रावधानों का पालन करना अनिवार्य है ।

माननीय सभापति**:** आप अपना विषय रखिए ।

एडवोकेट चन्द्र शेखर **:** सर, मैं अपना विषय ही बता रहा हूं । यूपी में विद्यालयों का विलय कर स्कूलों को एक किलोमीटर या उससे अधिक दूर ले जाना संविधान और आरटीई के प्रावधानों का खुला उल्लंघन है । क्या यह निर्णय कमजोर वर्गों, दलितों, आदिवासियों और गरीब बच्चों को शिक्षा से दूर नहीं करता है?

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि वे इन स्कूलों को बचाएं, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार उनको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा रही है । गरीबों को एवं उनके बच्चों को बचाया जाए । महोदय, अगर सरकार फिर भी नहीं मानती है तो मैं आपके माध्यम से यूपी सरकार से कहना चाहता हूं कि हम बच्चों का भविष्य बचाने के लिए सड़कों पर सरकार का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं । धन्यवाद ।